

अज अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

नागौर

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

पप्पुराम पुत्र श्री राजूराम जाति जाट
आयु 26 वर्ष निवासी जानेवा पूर्व
तहसील व जिला नागौर राजस्थान

राजस्थान सरकार जरिये लोक
अभियोजक, नागौर।

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र

संख्या

.....11..... / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
25.01.2022	<p>वकील प्रार्थी ने पुलिस थाना कोतवाली नागौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-421/2021 अधिन धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन पीकअप संख्या एस 23 सीसी 2562 को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन की नकल अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय नागौर को दिलाई गई। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत करावे। पत्रावली दिनांक 27.01.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">↓ जिला कलक्टर, नागौर</p>	
27 ¹ / ₂₀₂₂	<p>वकील प्रार्थी उप.। E.I श्री रामवतर रूनिदा उप.। अभियोजन अधिकारी श्री कौशलसिंह उप.। अभियोजन अधिकारी ने क्लक जेश जारी प्राप्त गयी होना लाहिर करते हुए एक भस्तर चाहा, जो रिवा लाकर कागामी दिनांक 31/1/2022 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">↓ कलक्टर, नागौर</p>	
31 ¹ / ₂₀₂₂	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री कौशलसिंह राठौड़ अभियोजन अधिकारी एवं श्री शिवराम अभियोजन अधिकारी रसद विभाग उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत 457 सी.आर.पी. सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी वाहन पीकअप पंजीयन संख्या एस 23 सीसी 2562 का प्रार्थी आम मुख्तियार है। उक्त वाहन की एनओसी प्रार्थी के नाम प्रार्थी के पास उपलब्ध है, जो आवेदन के संलग्न पेश की गई है। उक्त वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-421/2021 पुलिस थाना कोतवाली नागौर प्रकरण में पुलिस थाना कोतवाली नागौर द्वारा जब्त किया हुआ है। उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई दावेदार नहीं है। उक्त वाहन थाना कोतवाली नागौर में देखरेख के अभाव में पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। पुलिस थाना कोतवाली नागौर को उक्त वाहन की</p> <p style="text-align: right;">↓ कलक्टर, नागौर</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त वाहन ही है, जिसके अभाव में प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है। प्रार्थी को जरिये जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा के उक्त वाहन सुपुर्द किया जाना उचित व न्याय संगत है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने का तत्पर होने का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर प्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।</p> <p>अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि वाहन पिकअप पंजीयन संख्या एएस 23 सीसी 2562 रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक-31.1.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा उक्त वाहन पिकअप पंजीयन संख्या एएस 23 सीसी 2562 से अनुसंधान शेष नहीं होना एवं ना ही अनुसंधान में आवश्यकता है। परन्तु उक्त प्रकरण में उक्त जब्तशुदा वाहन का मालिक के संबंध में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रार्थी के नाम नहीं है। उक्त जब्त शुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या एएस 23 सीसी 2562 में प्लास्टिक के 8 ड्रम भरे हुए व 2 ड्रम खाली पाये गये। डीप रॉड से मापने पर इन ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्येक ड्रम में 200-200 लीटर 7 ड्रमों में एक ड्रम में 180 लीटर इस प्रकार कुल 1580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से भरा हुआ पाया गया। उक्त प्रकरण में जब्त शुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या एएस 23 सीसी 2562, पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य वाहन, ड्रम, प्लास्टिक की टंकिया आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या-102/2021 सरकार बनाम चेनाराम, न्यायालय हाजा में विचाराधीन है इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सीआरपी खारिज करने का निवेदन किया है।</p> <p>वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक-31.01.2022 के अनुसार प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक-31.1.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या एएस 23 सीसी 2562 से अनुसंधान शेष नहीं होना एवं ना ही अनुसंधान में आवश्यकता है। परन्तु उक्त प्रकरण में उक्त जब्तशुदा वाहन का मालिक के संबंध में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रार्थी के नाम नहीं है। उक्त जब्त शुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या एएस 23 सीसी 2562 में प्लास्टिक के 8 ड्रम भरे हुए व 2 ड्रम खाली पाये गये। डीप रॉड से मापने पर इन ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्येक ड्रम में 200-200 लीटर 7 ड्रमों में एक ड्रम में 180 लीटर इस प्रकार कुल 1580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से भरा हुआ पाया गया। उक्त प्रकरण में जब्त शुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या एएस 23 सीसी 2562, पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य वाहन, ड्रम, प्लास्टिक की टंकिया आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या-102/2021 सरकार बनाम चेनाराम, न्यायालय हाजा में विचाराधीन है इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर यह पत्रावली रसद मामला संख्या 102/2021 के साथ नथी हो।</p>	



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर